

मांग संख्या 03  
मुख्य शीर्ष 2055

**मद क्रमांक 1 से 3**

राज्य मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि पर ` 119.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 1,19,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 4 से 5**

अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालाएँ के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों के अन्य भत्ते, आदि पर ` 7.80 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 7,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 6 से 9**

सामान्य व्यय - विशेष पुलिस योजना के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों के वेतन भत्ते आदि पर राशि ` 2960.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 29,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 10 से 14**

सामान्य व्यय - जिला स्थापना योजना के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि पर ` 2365.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 23,65,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 15 से 16**

प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी योजना के अन्तर्गत किराया महसूल कर मद में राशि ` 200.00 लाख, एवं अन्य लघु निर्माण कार्य पर राशि ` 200.00 लाख कुल राशि ` 400.00 लाख का व्यय होना संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 17 से 18**

पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द - रेल पुलिस पूर्वी विभाग योजना के अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों वेतन भत्ते आदि पर राशि ` 139.23 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 1,39,23,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।